उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-94/3489/पांच-8-2016-जी0(253)/2016

लखनऊ : दिनांक 25 नवम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2478/पांच-8-2014-म0(345)/2012, दिनांक 18-09-2014 द्वारा डा0 शशि सिंह, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। डा0 शशि सिंह नियुक्ति से पूर्व एम0एस0(आब्स एण्ड गायनी) में एराज मेडिकल कालेज, लखनऊ में अध्ययनरत थी, जिसके कारण तत्समय कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकी थी।

2- अतः सम्यक विचारोपरान्त डा0 शशि सिंह, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, सन्त कबीर नगर के अधीन इस शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि इनकी पी0जी0 अवधि के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

3- डा0 शशि सिंह , चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

4- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18-09-2014 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

डा0 नीरज शुक्ला

विशेष सचिव।

संख्या-94/3489(1)/पांच-8-2016-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

4- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर/मिर्जापुर मण्डल ।

5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।

6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0,लखनऊ।

7- मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया/सन्त कबीरनगर।

8- कोषाधिकारी, देवरिया/सन्त कबीर नगर।

10- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

11- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-95/3751/पांच-8-2016-जी0(79)/2016

लखनऊ : दिनांक 25 नवम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-168(1)/चि0-3-2012-03(नियुक्ति)/2011, दिनांक 21-02-2012 द्वारा डा0 मनीष पाण्डेय, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, सहारनपुर के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। उक्त आदेश के अनुपालन में डा0 मनीष पाण्डेय द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, सहारनपुर के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, सहारनपुर द्वारा डा0 पाण्डेय की तैनाती अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुनेहटी, सहारनपुर में की गयी थी। डा0 पाण्डेय ने दिनांक 19-06-2014 तक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुनेहटी, सहारनपुर में कार्य किया गया। वर्ष 2014 में डा0 पाण्डेय का चयन डी0एल0ओ0(ई0एन0टी0) में महारानी रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी में हो गया। शासन के आदेश दिनांक 17-07-2014 द्वारा डा0 पाण्डेय को पी0जी0 करने हेतु अनुमति प्रदान की गयी। डा0 मनीष पाण्डेय द्वारा पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त पत्र दिनांक 23-07-2016 द्वारा पुनः योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 27-07-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 मनीष पाण्डेय, चिकित्साधिकारी को एस0बी0डी0 चिकित्सालय, सहारनपुर में इस शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि उनकी पी0जी0 अवधि के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

2- डा0 मनीष पाण्डेय, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 22-12-2016 तक एस0बी0डी0 चिकित्सालय, सहारनपुर के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

डा0 नीरज शुक्ला

विशेष सचिव।

क्रमशः

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-95/3751(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 मनीष पाण्डेय, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 22-12-2016 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0,लखनऊ

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, सहारनपुर।

6- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एस0बी0डी0 चिकित्सालय, सहारनपुर।

7- कोषाधिकारी, सहारनपुर।

8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

9- प्रभारी/कम्प्यूटर सेल (पी-2), महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी से पी0जी0 कोर्स का संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त करके पी-2 में एक माह के अन्दर अंकित कर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

10- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-96/3752/पांच-8-2016-जी0(79)/2016

लखनऊ : दिनांक 25 नवम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2478/पांच-8-2014-म0(345)/2012, दिनांक 18-09-2014 द्वारा डा0 ब्रजेश कुमार, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ़ के अधीन नियुक्ति/ तैनाती प्रदान की गयी। उक्त के अनुपालन में डा0 ब्रजेश कुमार द्वारा दिनांक 16-10-2014 को मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ़ के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी। योगदान आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त डा0 ब्रजेश कुमार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये। डा0 ब्रजेश कुमार द्वारा लम्बी अवधि के उपरान्त पत्र दिनांक 25-02-2016 द्वारा पुनः योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ़ के पत्र दिनांक 25-06-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 ब्रजेश कुमार, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ़ के अधीन कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- डा0 ब्रजेश कुमार, चिकित्साधिकारी को दिनांक 16-10-2014 से बिना किसी सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति रहते हुए शासकीय कार्यो से विरत रहने आदि आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के दृष्टिगत डा0 ब्रजेश कुमार के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए आरोपों की जांच हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ को जांच अधिकारी नामित करने के एतद्द्वारा श्री राज्यपाल आदेश प्रदान करते हैं।

वी0 हेकाली झिमोमी

सचिव।

क्रमशः

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या-96/3752(1)/पांच-8-2016-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 ब्रजेश कुमार, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित कराते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जांच अधिकारी/अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ को अनुमोदित आरोप पत्र की 02 प्रतियां साक्ष्यों सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि एक प्रति अपचारी चिकित्साधिकारी को तामील कराकर तामीली की सूचना एक सप्ताह में शासन को उपलब्ध करायें।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित डा0 ब्रजेश कुमार को कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करायें।

6- कोषाधिकारी, अलीगढ़।

7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी(द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़)।

8- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in